न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 255 / 2024

अनवान : –

1. हुसैन खां पुत्र नेक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. गुलाम हुसैन पुत्र नेक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. जाकिर हुसैन पुत्र नेक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. सरीया पत्नी नेक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. जरीना पुत्री नेक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. बलकीसा पुत्री नेक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
5. मैना पुत्री नेक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. हाजरा पुत्री नेक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **सायल**

निर्णय **दिनांकः** 3/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 412 की कुल 22.359 हैक्ट भूमि व खाता स0 149 की कल 17.2880 हैक्ट भूमि सायलान व गैरसायलान संख्या 1 ता 6 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता सं. 149 / 150 के खसरा नं. 732 की 0.9740 है. खसरा नं. 828 की 7. 8660 है, खसरा नं. 829 की 8.448 है. कुल 3 खसरेजात की 17.2880 हैक्टर भूमि थी जिसमें सायलान के पिता नेक मोहम्द पुत्र खैरदीन का 10363 / 172880 हिस्सा था तथा रोही मौजा मन्दरपुरा की जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता सं. 412 / 409 के खसरा नं. 757 की 6.3360 है. खसरा नं. 761 की 3. 5030 हैक्टर, खसरा नं. 762 की 9.4470 हैक्टर, खसरा नं. 831 की 1.1380 हैक्टर, खसरा नं. 835 की 1.9350 हैक्टर कुल 5 खसरेजात की 22.[illegible] हैक्टर भूमि थी जिसमें सायलान के पिता नेक मोहम्द का 1141 / 1 / 2 हिस्सा में से 1/[illegible] हिस्सा था तथा वर्तमान में नेक मोहम्द का हिस्सा सायलान व गैरसायलान सं. [illegible] के बराबर जमाबंदी में दर्ज है। नेक मोहम्द के जीवन काल मे ही सायलान व गैरसायलान का [illegible]हमी बंटवारा किया [illegible]का था किन्तु राजस्व रेकार्ड में भुमि का अलग–अलग नाम दर्ज नहीं किया गया था रोही मौजा मन्दरपुरा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:05:30 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

जमाबंदी संवत्त 2072 के खाता सं. 409/339 में सायलान व गैरसायलान के पिता का 1141/1/2 हिस्सा में 1/6 हिस्सा अर्थात 9 बीघा 6/1/2 बिस्वा भूमि थी तथा रोही मौजा मन्दरपुरा की जमाबंदी संवत्त 2072–75 के खाता सं. 149 में 10363/172880 हिस्सा अर्थात 1.0363 हैक्टर भूमि कुल दोंनों खातो में सायलान के पिता नेक मोहम्द की 2.358 हैक्टर भूमि अर्थात कुल 3.388 हैक्टर भूमि थी जिसमें माता व बहिनों गैरसायलान सं. 2 ता 6 ने अपना समस्त हक व हिस्सा सायलान व गैरसायल सं. 1 के पक्ष में त्याग कर दिया था इसलिए 3.388 हैक्टर भूमि में सायलान व गैरसायलसं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार थे इसलिए सायलान के पिता नेक मोहम्द के जीवन काल में गैरसायल सं. 1 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का बेचान नेक मोहम्द की मार्फत विक्रय कर दिया था व समस्त प्रतिफल गैरसायल सं. 1 ने प्राप्त कर सायलान को एक लिखा–पढ़ी अपने हक व हिस्सा की भूमि को विक्रय करने व प्रतिफल प्राप्त करने की तहरीर व तस्दीक करवाकर सायलान को दे दिया था इसलिए नेक मोहम्द की भूमि में गैरसायल सं. 1 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। गैरसायल स0 1 बहुत तेज तर्रार है और उक्त भूमि का विरासतन दर्ज करवाकर अब रहन, बैय करना चाहता है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायलान के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे वाद के निस्तारण तक उक्त भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।।

वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायलान को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 412 की कुल 22.359 हैक्ट भूमि व खाता स0 149 की कल 17.2880 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 ता 6 को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी स0 1 ता 6 उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 1 ता 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पूर्व में नेक मोहम्मद के नाम दर्ज थी एवं नेक मोहम्मद के देहांत के बाद सायलान व गैरसायलान के नाम अब दर्ज हुई। नेक मोहम्द के जीवन काल मे ही सायलान व गैरसायलान का बाहमी बंटवारा किया जा चुका था किन्तु राजस्व रेकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:05:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर (हनु०)

भुमि का अलग–अलग नाम दर्ज नहीं किया गया था रोही मौजा मन्दरपुरा की जमाबंदी संवत्त 2072 के खाता सं. 409/339 में सायलान व गैरसायलान के पिता का 1141/1/2 हिस्सा में 1/6 हिस्सा अर्थात 9 बीघा 6/1/2 बिस्वा भूमि थी तथा रोही मौजा मन्दरपुरा की जमाबंदी संवत्त 2072–75 के खाता सं. 149 में 10363/172880 हिस्सा अर्थात 1.0363 हैक्टर भूमि कुल दोंनों खातो में सायलान के पिता नेक मोहम्द की 2.358 हैक्टर भूमि अर्थात कुल 3.388 हैक्टर भूमि थी जिसमें माता व बहिनों गैरसायलान सं. 2 ता 6 ने अपना समस्त हक व हिस्सा सायलान व गैरसायल सं. 1 के पक्ष में त्याग कर दिया था इसलिए 3.388 हैक्टर भूमि में सायलान व गैरसायलसं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार थे इसलिए सायलान के पिता नेक मोहम्द के जीवन काल में गैरसायल सं. 1 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का बेचान नेक मोहम्द की मार्फत विक्रय कर दिया था व समस्त प्रतिफल गैरसायल सं. 1 ने प्राप्त कर सायलान को एक लिखा–पढ़ी अपने हक व हिस्सा की भूमि को विक्रय करने व प्रतिफल प्राप्त करने की तहरीर व तस्दीक करवाकर सायलान को दे दिया था इसलिए नेक मोहम्द की भूमि में गैरसायल सं. 1 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। गैरसायल स0 1 बहुत तेज तर्रार है और उक्त भूमि का विरासतन दर्ज करवाकर अब रहन, बैय करना चाहता है, अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 द्वारा अपने हक हिस्से का त्याग सायल व गैरसायल स0 1 के पक्ष में किया गया है लेकिन अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज रीलीज डिड/गिफ्ट डिड आदि पेश नही किये है जिससे यह साबित हो की गैरसायलान द्वारा अपने हक हिस्सा का त्याग किया गया हो, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 14.10.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक......3.11.25...... मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:05:30 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर